

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 275]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 11 जून 2020 — ज्येष्ठ 21, शक 1942

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 जून 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-53/2017/सात-1. — छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक-20, सन् 1959) की धारा 67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1), (2), (3) तथा (5) में क्रमशः उल्लिखित जिला, तहसील, राजस्व निरीक्षक मण्डल तथा ग्राम के तत्स्थानी कॉलम (6) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र की राजस्व सर्वेक्षण संक्रियाएं प्रारंभ की जायेगी तथा उक्त क्षेत्र, उक्त धारा के अधीन राजस्व सर्वेक्षण संक्रिया के बंद किये जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना के अधिसूचित किये जाने तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन होंगे, अर्थात् :-

अनुसूची

जिले का नाम	तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल	स. क्र.	ग्राम का नाम	प.ह.न.	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
कबीरधाम	स.लोहारा	सिंघनगढ़	1	दैहानडीह	29	—

No. F 11-53/2017/seven-1. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 67 of the Chhattisgarh Land Revenue Code 1959 (No. 20 of 1959), The State Government, hereby, declares that initiate the revenue survey operations of the area specified in column (6) in the schedule below, corresponding to District, Tahsil, R.I. Circle and Village mentioned in column (1), (2), (3) and (5) respectively, shall be made and said area shall be held to be under such survey till the notification declaring the revenue survey operation to be closed, is notified under the said Section, namely :-

SCHEDULE

District Name	Name of Tehsil	R.I. Circle	S. No.	Name of Village	Patwari Halka No.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Kabirdham	S.Lohara	Singhangarh	1	Daihandih	29	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम.डी. दीवान, संयुक्त सचिव.